

**Title: Papers Laid On The Table of the House by Ministers/Members.****माननीय सभापति:** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 ? श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

? (व्यवधान)

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):** महोदय, श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- 1) (एक) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एण्ड आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एण्ड आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9102/17/23]

? (व्यवधान)

**14.03 hrs**

*At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

? (व्यवधान)

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 29(अ) जो 4 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऐजाज़ अहमद अहंगर उर्फ अबु उस्मान अल-कश्मीरी का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।

- (दो) का.आ. 39(अ) जो 5 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मोहम्मद अमीन खुबाइब उर्फ अबु खुबाइब उर्फ पिन्ना उर्फ मोहम्मद अमीन बट्ट का नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (तीन) का.आ. 71(अ) जो 6 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरबाज़ अहमद मीर का नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (चार) का.आ. 104(अ) जो 7 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डॉ. आसिफ मकबूल डार का नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (पांच) का.आ. 105(अ) जो 9 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला का नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (छह) का.आ. 739(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा का नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (सात) का.आ. 45(अ) जो 5 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में ??पासबान-ए-अहले हदीस?? शब्दों के पश्चात् ??दि रेजिसटेंस फ्रंट एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस ??शब्द अंतःस्थापित किए गए हैं।
- (आठ) का.आ. 85(अ) जो 6 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में ??तहरीक-ए-फुरकान?? शब्दों के पश्चात् ??पीपल्स एंटी-फासिस्ट-फ्रंट (पीएएफएफ) एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस ??शब्द अंतःस्थापित किए गए हैं।
- (नौ) का.आ. 738(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में जोड़े गए हैं।
- (दस) का.आ. 747(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स (केपीएफ) एंड ऑल

इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में जोड़े गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9103/17/23]

(2) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2020 जो 23 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ई-14011/1/2020-एलपीएआई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2022 जो 13 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ई-14011/1/2020-एलपीएआई में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9104/17/23]

(4) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उप-धारा (2) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के अंतर्गत "आमेलन/प्रतिनियुक्ति के साथ या बिना प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/संवर्ग बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति और आमेलन के लिए अध्यादेश-दिशानिर्देश" जो 17 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 521 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9105/17/23]

(5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल कॉम्बेटाइज्ड (जनरल ड्यूटी) समूह ?ग ?पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 28 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 907(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9106/17/23]

(6) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9107/17/23]

(8) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट

काडर, समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 62(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9108/17/23]

? (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदय, कुमारी शोभा कारान्दलाजे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 तथा 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 तथा 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9109/17/23]

? (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): महोदय, कुमारी प्रतिमा भौमिक की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9110/17/23]

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the years 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the years 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022.
- (2) Three delay statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- [Placed in Library, See No. LT 9111/17/23]
- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2021-2022, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.
- [Placed in Library, See No. LT 9112/17/23]
- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2021-2022, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2021-2022.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9113/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक):  
महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9114/17/23]

—  
? (व्यवधान)